संख्या-18/2026/001-2238-42/42-01099/78/2026

प्रेषक,

कुमार विनीत,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

खेल अनुभाग लखनऊ : दिनांक 26.09.2026

विषय:- मेजर ध्यान चन्द राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय, मेरठ को वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्राविधानित बजट व्यवस्था के सापेक्ष 37-मेजर ध्यानचन्द विश्वविद्यालय, मेरठ को स्थायी विन्यास निधि हेतु एकबारीय अनुदान 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि रू0 1000.00 लाख अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त अधिकारी, मेजर ध्यानचन्द खेल विश्वविद्यालय, मेरठ पत्र संख्या-552/मे०ध्या०खे०वि०वि०/2026-27, दिनांक 17.08.2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष-2026-27 में मेजर ध्यान चन्द राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय, मेरठ को वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्राविधानित बजट व्यवस्था के सापेक्ष 37-मेजर ध्यानचन्द विश्वविद्यालय, मेरठ को स्थायी विन्यास निधि हेतु एकबारीय अनुदान 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि रू0 10,00,00,000/-(रुपये दस करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने तथा उक्त धनराशि निदेशक, खेल के निवर्तन पर रखे जाने एवं निदेशक, खेल द्वारा वित्त अधिकारी, मेजर ध्यान चन्द खेल विश्वविद्यालय, मेरठ को आवंटित किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं

<u>नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों</u>

(1) स्वीकृत अनुदान धनराशि का आहरण वित्तीय नियमों के आलोक में आवश्यकतानुसार किया जाएगा और व्यय का लेखा-जोखा विश्वविद्यालय द्वारा रखा जायेगा तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र नियमानुसार शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाएगा ।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वित्त (वित्त-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231-2026, दिनांक 28.03.2026 में दिये गये निर्देशों, सुसंगत वित्तीय नियमों एवं समय-समय पर जारी किये गये शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(3) अनुदान के बिल पर कुलपति, मेजर ध्यान चन्द राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय, मेरठ द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा ।

(4) इस अनुदान का उपयोग अनुमोदित मदों पर ही किया जाएगा । अस्थायी रूप से भी इसका कोई भाग अन्य अनानुमोदित मदों पर व्यय नहीं किया जाएगा । उक्त धनराशि का व्यावर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(5) इस अनुदान पर वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 (भाग-1) के अध्याय 16-क में निहित सहायता अनुदान के नियम लागू होंगे ।

(6) उक्त धनराशि को विश्वविद्यालय निधि के रूप में सुरक्षित सावधि जमा (Fixed Deposit) के रूप में रखते हुए उस पर अर्जित ब्याज की धनराशि का उपयोग विश्वविद्यालय की नियमित शैक्षणिक सत्रों एवं खेल गतिविधियों के संचालन में किया जायेगा।

(7) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा ।

(8) किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिए वित्त अधिकारी / कुल सचिव / कुलपति जिम्मेदार होंगे।

(9) इस अनुदान का बी0एम0-13 प्रपत्र शासन एवं महालेखाकार, उत्तर प्रदेश प्रयागराज को यथासमय उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा ।

(10) कोई भी पूँजीगत व्यय इस अनुदान से अनुमन्य नहीं होगा ।

(11) वित्त अधिकारी, मेजर ध्यान चन्द राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय द्वारा स्वयं यथा आवश्यकता मदवार फांट बनाया जाना सुनिश्चित करेंगे एवं राज्य सरकार द्वारा दिये जा रहे अनुदान से प्रतिबद्ध मदों का व्यय वहन करने के पश्चात ही मितव्ययी मदों में उपयोग किया जायेगा ।

(12) स्वीकृत धनराशि का उपयोग निर्धारित मदों में सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन किया जाएगा।

(13) किसी महत्वपूर्ण अथवा आकस्मिकता की स्थिति में कार्यकारी परिषद के अनुमोदन तथा माननीय कुलाधिपति महोदया एवं शासन को नियमानुसार संज्ञानित कराते हुए विश्वविद्यालय की वास्तविक आवश्यकता के दृष्टिगत धनराशि का उपयोग किया जाएगा। उपभोग की गई धनराशि की प्रतिपूर्ति विश्वविद्यालय खातें में अर्जित ब्याज से की जाएगी।

(14) उत्तर प्रदेश राज्य क्रीड़ा अधिनियम-2021 की सम्बन्धित धाराओं का पूर्णतया अनुपालन कराये जाने की जिम्मेदार वित्त अधिकारी / कुल सचिव / कुलपति, मेजर ध्यानचन्द खेल विश्वविद्यालय, मेरठ की होगी।

(15) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति के संबंध में किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता के लिए प्रशा0 विभाग तथा विश्व विद्यालय प्रशासन उत्तरदायी होंगे ।

(16) निदेशक, खेल एवं कुलपति द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वायत्तशासी संस्थाओं, जिन्हें विभाग द्वारा सहायता अनुदान /अंशपूंजी/ऋण स्वीकृत किया जाता है, के कोषागार से भुगतान हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-v भाग-1 के प्रस्तर-209 के अनुसार कार्यवाही किया जायेगा ।

(17) निदेशक, खेल एवं कुलपति द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेग कि विश्वविद्यालय की मूलभूत आवश्यकताओं को समयबद्ध एवं प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने हेतु उक्त धनराशि को विश्वविद्यालय निधि के रूप में संरक्षित रखा जायेगा। उक्त धनराशि को विश्वविद्यालय निधि के रूप में सुरक्षित सावधि जमा (Fixed Deposit) के रूप में रखते हुए उस पर अर्जित ब्याज की धनराशि का उपयोग विश्वविद्यालय की नियमित शैक्षणिक सत्रों एवं खेल गतिविधियों के संचालन में ही किया जायेगा अन्य किसी मद में व्यय नहीं किया जायेगा।

(18) उक्त स्वीकृत धनराशि को व्यय किये जाने में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी एवं वर्तमान में प्रभावी मितव्ययता संबंधी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(19) निदेशक, खेल एवं कुलपति द्वारा प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति/व्यय के संबंध में योजना की गाइडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(20) निदेशक, खेल एवं कुलपति द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य अन्य किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 10,00,00,000 (रुपये दस करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या** 022 **लेखा शीर्षक** 2204001043700 मेजर ध्यानचन्द विश्वविद्यालय, मेरठ को स्थायी विन्यास निधि हेतु एकबारीय अनुदान **मानक मद** 20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-5-86-X-2026-27-दिनांक:26-9-2026 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
कुमार विनीत
विशेष सचिव।

संख्या-18/2026/001-2238-42/42-01099/78/2026**, तद् दिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय उ०प्र० प्रयागराज ।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय उ०प्र० प्रयागराज ।
3- कुलपति, मेजर ध्यान चन्द राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय, मेरठ ।
4- कुल सचिव, मेजर ध्यान चन्द राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय, मेरठ।
5- वित्त अधिकारी, मेजर ध्यान चन्द राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय, मेरठ।
6- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।
7- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ / कोषाधिकारी, मेरठ ।
8- क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी, मेरठ ।
9- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5 उ0प्र0 शासन ।
10- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
कुमार विनीत
विशेष सचिव।

http://

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।